

(आयोग की वेबसाईट पर दिनांक-29-12-2020 को अपलोड किए जाने हेतु)



भारतसरकार,  
कर्मचारी चयन आयोग,  
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,  
ब्लॉकस. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,  
लोधीरो ड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,  
Staff Selection Commission  
Min. of Personnel, Public Grievances &  
Pensions,  
Block No. 12, CGO Complex,  
Lodhi Road, New Delhi - 110003

(आयोग की वेबसाईट: <https://ssc.nic.in>)

**विज्ञप्ति**

**संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि: 29-12-2020 से 31-01-2021  
ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय: 31-01-2021(23:30बजे)  
ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 02-02-2021(23:30बजे)  
ऑफलाइन चालान तैयार करने की अंतिम तिथि एवं समय : 04-02-2021 (23:30 बजे)  
चालान के जरिए शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि (बैंक कार्य समय के दौरान): 06-02-2021  
कम्प्यूटर आधारित परीक्षा टियर-I का कार्यक्रम: 29-05-2021 से 07-06-2021  
टियर-II परीक्षा (वर्णनात्मक)की तिथि: बाद में सूचित किया जाएगा।

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्सहित किया जाता है।”

फा.सं.3/4/2020 -नी. व यो.-। (खंड-1):कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 आयोजित करेगा। परीक्षा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2.पदों का ब्यौरा:- जिन संभावित पदों को इस परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

2.1 वेतन स्तर-8 (47600- 151100 रु.)

क्रम सं.	पदनाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/	पदों का वर्गीकरण	पद के लिए	आयु सीमा
----------	-------	--------------------------	------------------	-----------	----------

		संवर्ग		अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	
1	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	समूह 'ख' राजपत्रित (अलिपिकीय)	अ.दि. (एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) और श्र.दि.	अधिकतम 30 वर्ष
2	सहायक लेखा अधिकारी	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	समूह 'ख' राजपत्रित (अलिपिकीय)	अ.दि. (एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) और श्र.दि.	अधिकतम 30 वर्ष

## 2.2 वेतन स्तर-7 (44900- 142400 रु.)

क्रम सं.	पदनाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/ संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	आयु सीमा
3	सहायक अनुभाग अधिकारी	केंद्रीय सचिवालय सेवा	समूह 'ख'	दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित पद*	20- 30 वर्ष
4	सहायक अनुभाग अधिकारी	आसूचना ब्यूरो	समूह 'ख'	पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।	अधिकतम 30 वर्ष
5	सहायक अनुभाग अधिकारी	रेल मंत्रालय	समूह "ख"	दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, बधिर, आंशिक बधिर, एक बांह, एक पैर, एक पैर बांह, दोनों पैर, गतिविषयक दिव्यांगता , अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित एवं (एक बांह, अल्प-दृष्टि), (एक पैर, अल्प-दृष्टि), (एक बांह, श्रवण दिव्यांग), (एक पैर, श्रवण दिव्यांग)	20- 30 वर्ष

				और (अल्प-दृष्टि, श्रवण दिव्यांग)	
6	सहायक अनुभाग अधिकारी	विदेश मंत्रालय	समूह "ख"	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि.	20- 30 वर्ष
7	सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र सेना मुख्यालय	समूह "ख"	पद दिव्यांगजनों के लिए उपर्युक्त**	20- 30 वर्ष
8	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/ संगठन	समूह "ख"	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन,	18- 30 वर्ष
9	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/ संगठन	समूह "ख"	दोनों पैर, एक बांह पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि.	20- 30 वर्ष
10	सहायक अनुभाग अधिकारी	अन्य मंत्रालय/विभाग/ संगठन	समूह "ख"		अधिकतम 30 वर्ष
11	आयकर निरीक्षक	कें.प्र.क.बो.	समूह 'ग'	एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, श्र.दि.	अधिकतम 30 वर्ष
12	निरीक्षक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	के.अप्र.क. एवं सी.शु. बोर्ड	समूह "ख"	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, श्र.दि.	अधिकतम 30 वर्ष
13	निरीक्षक(निवारक अधिकारी)				
14	निरीक्षक (परीक्षक)				
15	सहायक प्रवर्तनअधिकारी	प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग	समूह "ख"	पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।	अधिकतम 30 वर्ष
16	उप निरीक्षक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	समूह "ख"	पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।	20-30 वर्ष
17	डाक निरीक्षक	डाक विभाग	समूह "ख"	अल्प-दृष्टि, श्र.दि., एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित और उपर्युक्त उल्लिखित	18-30 वर्ष

				दिव्यांगताओं में से बहु दिव्यांगता	
18	निरीक्षक	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	समूह "ख"	पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।	अधिकतम 30 वर्ष

### 2.3 वेतन स्तर-6 (35400 - 112400 ₹.):

क्रम सं.	पदनाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति	आयु सीमा
19	सहायक	अन्य मंत्रालय/विभाग/ संगठन	समूह 'ख'	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि.	अधिकतम 30 वर्ष
20	सहायक/अधीक्षक	अन्य मंत्रालय/विभाग/ संगठन	समूह 'ख'	एक बांह, एक पैर, दृष्टिहीन, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, अल्प दृष्टि और श्र.दि.	अधिकतम 30 वर्ष
21	प्रभागीय लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय	समूह 'ख'	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर,आंशिक बधिर एवं बधिर	अधिकतम 30 वर्ष
22	उप निरीक्षक	राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)	समूह 'ख'	पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।	अधिकतम 30 वर्ष
23	कनिष्ठ सांख्यिकी आधिकारी	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	समूह 'ख'	पद दिव्यांगजनों के प्रकार के लिए उपर्युक्त***	अधिकतम 32 वर्ष

### 2.4 वेतन स्तर-5 (29200- 92300 ₹.):

क्रम सं.	पदनाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगता कीप्रकृति	आयु सीमा
24	लेखा परीक्षक	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय	समूह 'ग'	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर और श्र.दि.	18-27 वर्ष
25	लेखा परीक्षक	अन्य मंत्रालय/ विभाग	समूह 'ग'	एक बांह, एक पैर, दोनों पैर एवं श्र.दि.	18-27 वर्ष
26	लेखा परीक्षक	सीजीडीए के अधीन कार्यालय	समूह 'ग'	पद दिव्यांगजनों के प्रकार के लिए उपर्युक्त*****	18-27 वर्ष
27	लेखाकार	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्यालय	समूह 'ग'	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर और श्र.दि.	18-27 वर्ष
28	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	अन्य मंत्रालय/विभाग	समूह 'ग'	एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर और श्र.दि.	18-27 वर्ष

#### 2.5 वेतन स्तर-4 (25500- 81100 रु.):

क्रम सं.	पदनाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संवर्ग	पदों का वर्गीकरण	पद के लिए अनुमत्य शारीरिक दिव्यांगता कीप्रकृति	आयु सीमा
29	वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ प्रवर श्रेणी लिपिक	सीएससीएस संवर्ग को छोड़कर केंद्रीय सरकार के कार्यालय/मंत्रालय	समूह 'ग'	एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, एक बांह व एक पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि और श्र.दि.	18-27 वर्ष
30	कर सहायक	के.प्र.क.बोर्ड	समूह 'ग'	दोनों पैर, एक पैर, आंशिक बधिर, बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, एक बांह, एक बांह और एक पैर	18-27 वर्ष
31	कर सहायक	के.अप्र.क. एवं सी.शु. बोर्ड	समूह 'ग'	एक पैर, एक बांह, दोनों पैर, एक बांह और एक पैर, दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि,	18-27 वर्ष

				श्र.दि.	
32	उप निरीक्षक	केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो	समूह 'ग'	पद शारिरीक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है।	18-27 वर्ष

(\* ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद हेतु अनुमत्य दिव्यांगताएं:

खंड	उपयुक्त निर्धारित	कार्यात्मक वर्गीकरण	बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए शारीरिक अपेक्षाएं
क	दृष्टिहीन एवं अल्प-दृष्टि	दृष्टिहीन	बैठना, खड़ा होना, चलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, उठाना, घुटना टेकना एवं झुकना, वंकन, विचलन
		अल्प-दृष्टि	बैठना, खड़ा होना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, उठाना, घुटना टेकना एवं झुकना, वंकन, विचलन
ख	बधिर एवं श्रवण दिव्यांग	बधिर एवं श्र. दि.	बैठना, खड़ा होना, चलना, देखना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, उठाना, घुटना टेकना एवं झुकना, वंकन, विचलन
ग	अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले (एसिड अटेक) से पीड़ित लेकिन प्रमस्तिष्कीय प्रक्षाघात और बौद्धिक दिव्यांगता रहित गति विषयक अक्षमता	गति विषयक अक्षमता-एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर	बैठना, खड़ा होना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, विचलन
		दोनों पैर प्रभावित	बैठना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, विचलन
		एम डबल्यू	बैठना, खड़ा होना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, विचलन

		अभिसाधित कुष्ठ	बैठना, चलना, खड़ा होना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, विचलन, उठाना
		बौनापन	बैठना, खड़ा होना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, घुटना टेकना एवं झुकना, वंकन, विचलन
		अम्ल हमले (एसिड अटेक) से पीड़ित	बैठना, खड़ा होना, चलना, देखना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, घुटना टेकना एवं झुकना, वंकन, विचलन, उठाना
घ	उपर्युक्त क्रम संख्या क, ख, एवं ग में से बहु दिव्यांगताएं, प्रमस्तिष्कीय प्रक्षाघात और बौद्धिक दिव्यांगता को छोड़कर लेकिन बधिर एवं दृष्टिहीन सहित	(i) एक बांह, अल्प-दृष्टि	बैठना, खड़ा होना, देखना, चलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, विचलन
		(ii) एक पैर, अल्प-दृष्टि	बैठना, खड़ा होना, देखना, चलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, विचलन
		(iii) एक बांह, श्र. दि.	बैठना, खड़ा होना, देखना, चलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, विचलन
		(iv) एक पैर, श्र. दि.	बैठना, खड़ा होना, देखना, चलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, विचलन
		(v) अल्प-दृष्टि, श्र. दि.	बैठना, खड़ा होना, देखना, चलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, बात-चीत, उंगलियों का परिचालन, खींचना एवं धकेलना, विचलन, उठाना, घुटना टेकना एवं झुकना, वंकन

(\*\*) सशस्त्र मुख्यालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद हेतु अनुमत्य दिव्यांगताएं:

क्रम	उपयुक्त निर्धारित	शारीरिक अपेक्षाएं
------	-------------------	-------------------

सं.		
1	दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि, बधिर एवं श्र. दि., एक बांह, एक पैर, एक बांह और एक पैर, दोनों पैर प्रभावित, प्रमस्तिष्कीय प्रक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले (एसिड अटेक) से पीड़ित, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगता, उपर्युक्त में से बधिर-दृष्टिहीन छोड़कर बहु दिव्यांगता	बैठना, खड़ा होना, चलना, पढ़ना और लिखना, देखना, बात-चीत, सुनना

(\*\*\*)सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयमें कनिष्ठ सांख्यिकी आधिकारीके पद हेतु अनुमत्य दिव्यांगताएं:

क्रम सं.	दिव्यांगता की प्रकृति	शारीरिक अपेक्षाएं जिन्हें 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना है	दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणियां
1	अल्प दृष्टि	बैठना, खड़ा होना, चलना, उंगलियों का परिचालन, पढ़ना और लिखना, देखना, बात-चीत	अल्प-दृष्टि व्यक्ति का आकलन जहां आवश्यक हो सहायक यंत्रों, उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर सहायता के साथ किया जाना चाहिए
2	श्रवण दिव्यांग	बैठना, खड़ा होना, चलना, उंगलियों का परिचालन, पढ़ना और लिखना, देखना, बात-चीत	श्रवण दिव्यांग व्यक्ति उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर सहायता के साथ सम्प्रेषण कर लेना चाहिए
3	गति विषयक	बैठना, खड़ा होना, चलना, उंगलियों का परिचालन, पढ़ना और लिखना, देखना, बात-चीत	एक बांह प्रभावित एक पैर प्रभावित एक बांह और एक पैर प्रभावित दोनों पैर प्रभावित गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए व्यक्ति का आकलन सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए

(\*\*\*\*)सीजीडीए के अधीन कार्यालय में लेखा परीक्षक के पद हेतु अनुमत्य दिव्यांगताएं:

क्रम सं.	उपयुक्त निर्धारित	शारीरिक अपेक्षाएं
1	(क) बधिर एवं श्र. दि., (ख) अभिसाधित कुष्ठ, बौद्धिक दिव्यांगता, बौनापन,	बैठना, खड़ा होना, चलना, उंगलियों का परिचालन, देखना, पढ़ना और लिखना,

<p>अम्ल हमले (एसिड अटेक) से पीड़ित और प्रमस्तिष्कीय प्रक्षाघात सहित गति विषयक दिव्यांगता(एक बांह, एक पैर, दोनों पैर) (ग) विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगता, (घ) उपर्युक्त (क) और (ग) में से बहु दिव्यांगता</p>	<p>बात-चीत</p>
--	----------------

**प्रयुक्त किए गए संक्षिप्त रूप:**

- (i) शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति: ए.बां.-एक बांह प्रभवित, ए.पै.- एक पैर प्रभवित, ए. बां.पै.- एक बांह और एक पैर प्रभवित, दो.पै.-दोनों पैर प्रभवित, दृ.- दृष्टिहीन, अ.दृ.-अल्प दृष्टि, आं.ब.- आंशिक बधिर, ब.-बधिर, आं.दृ.-आंशिक दृष्टिहीन, श्र.दि. -श्रवण दिव्यांगअ.दि.-आस्थि दिव्यांग।
- (ii) शारीरिक अपेक्षाएं : एस- बैठना, एसटी-खड़ाहोना, डब्ल्यू- चलना, एमएफ-उंगलियों का परिचालन, आर डब्ल्यू- पढ़ना एवं लिखना, एसई- देखना, सी- बात-चीत, एच-श्रवण, एसपी-बोलना, पीपी-खींचना एवं धकेलना, एल-उठाना, केसी-घुटना टेकना एवं झुकना, बीएन-झुकना, एम-विचलन।

**टिप्पणी-I :**आयोग पदों का अंतिम रूप से आबंटन योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की वरीयताओं के आधार पर करता है और पद का एक बार आबंटन करने के बाद, किसी पद की शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण, आयोग द्वारा पदों के आबंटन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी उच्चतर पद के लिए वरीयता दी है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता है, ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके बारे में किन्हीं अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**टिप्पणी-II:** दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा जब कभी आयोग द्वारा अपेक्षित हो, पदों के लिए वरीयता देते समय अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि इसमें निरीक्षक(केंद्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक आधिकारी), केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में निरीक्षक और उप निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी में उप निरीक्षक इत्यादि जैसे कुछ ऐसे पद हैं, जिनकी शारीरिक मानकों, शारीरिक जांचों और चिकित्सा मानकों(जिनका उल्लेख अनुबंध-XVमें किया गया है) के संदर्भ में विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। अभ्यर्थियों को अपनी वरीयताएं/विकल्प देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उक्त पदों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन और संबंधित प्रयोक्ता विभागों के लिए नामांकन होने के पश्चात प्रयोक्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों का मापन, शारीरिक और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा।

**टिप्पणी-III:** इस भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या, अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम और उनकी किसी विशेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के वरीयता के आधार पर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी के पद के लिए चयनित उम्मीदवार को देश भर में फैले विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आवंटित किया जाएगा, इसके अलावा, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या वांछनीय योग्यता के साथ चयनित उम्मीदवारों को प्रशासनिक आवश्यकता और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर वाणिज्यिक स्ट्रीम के लिए आवंटित किया जाएगा।

**टिप्पणी-IV:** परीक्षा के परिणाम को प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त अंतिम रिक्तियों की संख्या के आधार पर तैयार किया जाएगा।

### 3. रिक्तियां एवं आरक्षण

3.1 परीक्षा के लिए अनंतिम रिक्तियां इस प्रकार हैं: 6506 (समूह 'ख' राजपत्रित-250, समूह 'ख' अराजपत्रित-3513, समूह 'ग'-2743)

3.2 सभी श्रेणी के पदों/सेवाओं हेतु अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति(अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (आपिव), भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) और शारीरिक रूप से दिव्यांग(शदि) अभ्यर्थियों के लिए यथा-प्रयोज्य एवं अनुमत्य आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संवर्गों द्वारा किए गए निर्धारण एवं दी गई सूचना के अनुसार होगा।

3.3 वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां केवल समूह 'ग' पदों के लिए आरक्षित होंगी।

### 4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

4.1 अभ्यर्थी या तो

4.1.1 भारत का नागरिक हो, या

4.1.2 नेपाल की प्रजा हो, या

4.1.3 भूटान की प्रजा हो, या

4.1.4 ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

4.1.5 भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगनिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

4.2 बशर्ते कि उपर्युक्त (4.1.2),(4.1.3),(4.1.4) तथा (4.1.5) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

4.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

### 5 आयु सीमा (दिनांक 01.01.2021 के अनुसार)

5.1 विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आयु सीमा	टिप्पणी
(i)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 18 - 27 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1994 से पूर्व और 01.01.2003 के पश्चात न हुआ हो
(ii)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 27 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1994 से पूर्व और 01.01.2001 के पश्चात न हुआ हो
(iii)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 20 - 30 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1991 से पूर्व और 01.01.2001 के पश्चात न हुआ हो
(iv)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है	अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1991 से पूर्व और 01.01.2003 के पश्चात न हुआ हो
(v)	वह पद जिसके लिए आयु सीमा 32 वर्ष तक है	अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1989 से पूर्व और 01.01.2003 के पश्चात न हुआ हो

5.2 आयु में छूट का दावा करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट और श्रेणी कोड निम्नानुसार हैं:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	आपिव (अनारक्षित)	10 वर्ष
04	आपिव (अपिव)	13 वर्ष
05	आपिव (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	आवेदन प्रप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
09	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजजा/अजा)	08 वर्ष
<b>केवल समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट</b>		
10	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्रप्ति की अंतिम तिथि को कम से	40 वर्ष की आयु तक

	कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	
11	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा/अजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	45 वर्ष की आयु तक
12	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो।	35 वर्ष की आयु तक
13	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं तथा जिन्होंने पुनर्विवाह (अजजा/अजा) न किया हो।	40 वर्ष की आयु तक

5.3 समूह-ख राजपत्रित पदों के लिए, उन कमीशंड अफसरों और इसीओ/एसएससीओज सहित भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष है, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की हो और निम्नलिखित के कारण निर्मुक्त किया गया हो;

5.3.1 कार्यकाल पूरा करने पर (इसमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होना है), जिन्हें कदाचार या अदक्षता के कारण बर्खास्त या निर्मुक्त न किया गया हो; या

5.3.2 सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दिव्यांगता के कारण; या

5.3.3 शारीरिक अशक्तता के कारण

5.4 समूह-ख राजपत्रित पदों के लिए, उन इसीओज/एसएससीओज के मामले में आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष है, जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सैन्य सेवा का 5 वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल पूरा कर लिया हो और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ा दिया हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाणपत्र जारी कर देता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका चयन होने पर उन्हें नियुक्ति की पेशकश होने की तारीख से 3 माह के भीतर निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

5.5 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

5.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.जा.सं.36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के

रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

5.7 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.8 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसे का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी आवश्यक प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.9 **स्पष्टीकरण:** भूपूसे से आशय उस व्यक्ति से है-

5.9.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

5.9.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या

5.9.1.2 जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

5.9.1.3 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.9.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं;

अथवा

5.9.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर

सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.9.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.9.5 प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.9.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.10 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे समूह 'ग' पदों में भूपूँसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा। इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक समूह 'ख' पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

5.11 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट/भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षण अनुमत्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

**6 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:**

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय इन प्रमाणपत्रों के मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/आपिव/शादि/ भूपूँसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6.2 अजा/अजजा/अपिव/आपिव/दि.जन/भू.पू.सै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

6.3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।

6.4 अभ्यर्थी उपर्युक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आपिव/शा.दि./भू.पू.सै श्रेणी का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

## 7 अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

7.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। चूंकि यह पद दोनों बांह प्रभावित दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा स्वीकार्य नहीं होगी।

7.2 न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, अनुबंध-I पर दिए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

7.3 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

7.4 यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा देने के समय अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 13.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

- 7.5 अभ्यर्थी का प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे शा.दि.अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 7.6 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 7.1 और 7.2 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 7.7 उपरोक्त पैरा 7.1 और 7.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 7.8 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.9 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।
- 7.10 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

## 8 अनिवार्य शैक्षिक योग्यता (दिनांक 01.01.2021 को)

### 8.1 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी

8.1.1 अनिवार्य योग्यताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री।

8.1.2 वांछनीय योग्यताएं : चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कम्पनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसाय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात(वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात।

8.1.3 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थायीकरण और नियमित नियुक्ति के लिए, सीधेभर्ती किए गए अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपनी-अपनी शाखाओं में "अधीनस्थ लेखा-परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी।

### 8.2 कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी:

8.2.1 कक्षा 12 के स्तर पर गणित में कम से कम 60 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातक डिग्री।

अथवा

किसी विषय में स्नातक डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर सांख्यिकी एक विषय के रूप में ली गई हो।

**8.3 अन्य सभी पद :**

8.3.1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री ।

8.4 स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, तथापि दिनांक 01.01.2021 को अथवा उससे पूर्व उनके पास अनिवार्ययोग्यता अवश्य होनी चाहिए।

8.5 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी आधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी आधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो।

8.6 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा

8.7 आयोग द्वारा डाटा एंट्री कौशल परीक्षा/ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में शामिल होने के लिए अर्हक घोषित अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेज़ जैसे स्नातक के सभी तीन वर्षों कीमाक्स-शीट/ दिनांक-01.01.2021 या उसके पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण स्वरूप स्नातक का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी

विचार किया जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता के परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि के पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं है।

8.8 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

## 9. आवेदन कैसे करे:

9.1 आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया विज्ञप्ति के अनुलग्नक- III और अनुलग्नक- IV का अवलोकन करें। एक-बारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदन का नमूना प्रोफार्मा अनुलग्नक-III A और अनुलग्नक- IV A के रूप में संलग्न हैं।

9.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

9.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 31-01-2021 (23:30) है।

9.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।

9.5 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध, जैसे- डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 10. आवेदन शुल्क:

- 10.1 देय शुल्क: 100 / - रुपए (मात्र एक सौ रुपए)
- 10.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.
- 10.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।
- 10.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **02-02-2021 (23:30 बजे)** तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **06-02-2021** तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक 04-02-2021 (23:30 बजे) तक चालान बनवा लिया है।
- 10.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 10.6 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

## 11. परीक्षा केन्द्र:

11.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को जरूर इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्रों पर स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र कोड	क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्र राज्य/ संघ राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
----------	---------------------------------	--	---------------------------------------

		क्षेत्र	
1	भागलपुर (3201), दरभंगा (3202), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्निया (3209) आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008),कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	<b>मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार तथा उत्तर प्रदेश</b>	क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211002 <a href="http://www.ssc-cr.org">http://www.ssc-cr.org</a>
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), बालासोर (4601), बेरहमपोर(उडिसा) (4602), भुवनेश्वर (4604),कटक (4605), धेनकेनल (4611), रौरकेल (4610 ), सम्बलपुर (4609),गंगटोक (4001),हूगली (4418), कोलकाता (4410),सिलीगुड़ी (4415),	<b>पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल</b>	क्षेत्रीय कार्यालय(पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल) , 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 <a href="http://www.sscer.org">www.sscer.org</a>
3	कवारती (9401), बेलगावी (9002), बेंगलूरु (9001),हुबबाली (9002), कलबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मंगलूरु (9008),मयसुरु (9009), शिवमोगा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कन्नौर (9202), कोलम (9210),	<b>कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)लक्ष्यद्वीप, कर्नाटक तथा केरल</b>	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 <a href="http://www.ssckkr.kar.nic.in">www.ssckkr.kar.nic.in</a>

	कोट्याम (9205), श्रीसूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)		
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर(6204),दुर्ग भिलाई (6205),	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे)/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 <a href="http://www.sscmpr.org">www.sscmpr.org</a>
5	ईटागनर (5001), डिब्रुगढ़ (5102), गुवाहाटी(दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), शिलांग (5401), इम्फाल (5501),चौराचांदपुर (5502),उखरुल (5503),अगरतला (5601) ऐजवाल (5701)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)/ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंडतथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलाटोला, वशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम- 781006 <a href="http://www.sscner.org.in">www.sscner.org.in</a>
6	देहरादून (2002),हलद्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201),अजमेर (2401), अलवर (2402), भरतपुर (2403),बीकानेर (2404), जयपुर (2405),जोधपुर (2406), कोटा(2407), श्रीगंगानागर(2408),	उत्तरी क्षेत्र (NR)/ दिल्ली ,राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 <a href="http://www.sscnr.net.in">www.sscnr.net.in</a>

	उदयपुर (2409), सिकर (2411)		
7	चंडीगढ़/मोहाली (1601),हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह(1005), सांबा(1010), श्रीनगर(जम्मू एवं कश्मीर) (1107),जलंधर (1402), लुधियाना(1405),पटिया ला (1403), अमृतसर(1404)	<b>पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)/</b> चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 <a href="http://www.sscnwr.org">www.sscnwr.org</a>
8	चिराला(8011), गुन्टूर(8001), काकीनाडा (8009), करनूल(8003), नेल्लोर(8010), राजामुन्द्री(8004), तिरुपति(8006), विजियानगरम(8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापटनम(8007), पाडुचेरी(8401), चेन्नै (8201), कोयंबटूर(8202), मदुरै(8204), सलेम(8205), तिरुचिरापल्ली(8206), तिरुनेवेली(8207) वेल्लोर(8208), हैदराबाद (8002), करीमनगर(8604), वारांगल(8603)	<b>दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/</b> आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु- 600006 <a href="http://www.sscsr.gov.in">www.sscsr.gov.in</a>
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001),आनंद(7011),	<b>पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/</b> दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और	<b>क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.),</b> <b>कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101,</b>

गांधीनगर(7012), मेहसाना(7013), राजकोट (7006), सूरत(7007), वडोदरा(7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद(7202), जलगांव(7214), कोल्हापुर(7203), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नांदेड(7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	महाराष्ट्र	<a href="#">महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020</a> <a href="http://www.sscwr.net">_www.sscwr.net</a>
---	------------	--

11.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

## 12 परीक्षा की रूपरेखा

12.1 परीक्षा निम्नलिखित चार स्तरों में आयोजित की जाएगी :-

- 12.1.1 टियर-I - कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
- 12.1.2 टियर-II - कम्प्यूटर आधारित परीक्षा
- 12.1.3 टियर-III - लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक प्रश्नपत्र)
- 12.1.4 टियर-IV - कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा/ डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (जहां कहीं लागू हो)

12.2 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की गयी है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग की विज्ञप्ति सं:1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.02.2020 के माध्यम से प्रकाशित सूत्र

द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

12.3 परीक्षा के बाद संभावित उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से परख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न का भुगतान करके, सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते हैं। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को, उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले, संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

12.4 विज्ञप्ति में उल्लेखित परीक्षा की तारीख अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसकी जानकारी सिर्फ आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

12.5 प्रश्न-पत्र में जहां कहीं भी जरूरत होगी, भार और माप की मीट्रिक प्रणाली व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा।

12.6 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनरावेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### 12.7 टियर-I और टियर-II परीक्षाओं की योजना

टियर	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
I	क. सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25	50	1 घंटा (पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है)
	ख. सामान्य जानकारी	25	50	
	ग. परिमाणात्मक अभिरुचि	25	50	
	घ. अंग्रेजी परिज्ञान	25	50	
II	पेपर-I: परिमाणात्मक क्षमता	100	200	2 घंटे (प्रत्येक पेपर के लिए) (पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटा 40 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है)
	पेपर-II: अंग्रेजी भाषा तथा परिज्ञान	200	200	
	पेपर-III: सांख्यिकीय	100	200	
	पेपर-IV: सामान्य अध्ययन (वित्त एवं अर्थशास्त्र)	100	200	

12.7.1 टियर-I और टियर-II वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले होंगे। केवल टियर-Iके अंग्रेजी परिज्ञान और टियर-II के पेपर-II को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाएगा।

12.7.2 टियर -Iमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

12.7.3 टियर -IIमें, प्रश्नपत्र -II (अंग्रेजी भाषा तथा परिज्ञान ) में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे तथा टियर- II के प्रश्नपत्र-I, प्रश्नपत्र-III तथा प्रश्नपत्र IV में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जायेंगे।

12.7.4 टियर-IIमें, पेपर-Iऔर पेपर-IIसभी पदों के लिए अनिवार्य हैं।

12.7.5 टियर-IIमें, पेपर-IIIकेवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो सांख्यिकी मंत्रालय में कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) और रजिस्ट्रार जनरल, भारत (गृह मंत्रालय) के कार्यालय में कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II के लिए आवेदन करते हैं और जिन्हें टियर-I पदों के लिए शार्टलिस्ट किया जाता है।

12.7.6 टियर-II में, पेपर- IV केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो पेपर- IV अर्थात सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी पदों के लिए टियर-Iमें शार्टलिस्ट किए जाएंगे।

## 12.8 टियर-III परीक्षा की रूपरेखा:

टियर	परीक्षा का माध्यम	परीक्षा की रूपरेखा	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
III	लिखित परीक्षा	अंग्रेजी अथवा हिंदी में वर्णनात्मक प्रश्नपत्र (निबंध/ सार/ पत्र/ आवेदन पत्र आदि)	100	1 घंटा (पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट जिन्हें प्रलिपिकों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। )

12.8.1 टियर-III के पेपर को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। पेपर के कुछ भाग हिन्दी और कुछ भाग अंग्रेजी में लिखने वाले को शून्य अंक दिए जाएंगे।

12.8.2 टियर-III में उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपना सही अनुक्रमांक लिखना होगा। अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में संबन्धित कॉलम में अपने हस्ताक्षर और बाएँ अंगूठे का निशान भी लगाना होगा। उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान ना होने पर शून्य अंक दिए जाएंगे।

12.8.3 अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका (टियर-III) पर किसी भी तरह की व्यक्तिगत पहचान जैसे नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल नं., पता इत्यादि ना लिखे। इन अनुदेशों का पालन नहीं करने पर इसे अनुचित साधन(यूएफएम) माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिए जाएंगे और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

### 12.9 टियर-IV (कौशल परीक्षा)

12.9.1 टियर-IV में, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और डाटा एंट्री गति परीक्षा ली जाएगी।

### 12.10 निश्चयार्थ पाठ्यक्रम (टियर-I):

12.10.1 **टियर-I: सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति** : इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायसंगत तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं: सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, आंकड़े संबंधी समानता, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्युलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/पैटर्न फोल्डिंग व अन्फोल्डिंग, अंकीय पैटर्न फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतःस्थपित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता।

12.10.2 **सामान्य जानकारी** : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती हैं। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

12.10.3 **परिमाणात्मक आभिरुचि** : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपर्युक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल,

औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक , त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पिरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ती बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

12.10.4 **अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों कीअंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जांचा जाएगा।

12.10.5 क,ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर, पद के लिए निर्धारित आनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर केहोंगे।

### 12.11 निश्चयार्थ पाठ्यक्रम (टियर-II):

12.11.1 **पेपर-I (परिमाणात्मक क्षमता):**इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन,दशमलव, खण्डऔर संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल,औसत,ब्याज,लाभएवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्तकी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज,वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकारसमान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीयसमपिरेमिड, त्रिकोणमितीयअनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

12.11.2 **पेपर-II (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान):**इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान,रिक्त स्थानों की पूर्ति,समानार्थक,विलोमार्थक,वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द,वाक्यों का सुधार,क्रियाओं के क्रियाओं के कर्तृ वाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्यों के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद में वाक्यों का परिवर्तन आदि से संबंधित होंगे।

12.11.3 **प्रश्नपत्र - III (सांख्यिकी):**

12.11.3.1 **सांख्यिकी डाटा का संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण-** प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, डाटा संकलन की पद्धतियां, डाटा को सारणीबद्ध करना, ग्राफ और चार्ट, आवृत्ति संवितरण, आवृत्ति संवितरणों की आरेखीय प्रस्तुति।

12.11.3.2 **केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप -** केन्द्रीय प्रवृत्तिकी सार्व माप - माध्य,माध्यिका, बहुलक; विभाजन मूल्य-चतुर्थक,दशमक, शतम।

12.11.3.3 **विक्षेपण का माप -** परिक्षेपण का सार्व माप-रेंज, चतुर्थक अपसरण, माध्य अपसरण तथा मानक अपसरण; साक्षेप विक्षेपण के माप

12.11.3.4 **घूर्ण,स्क्यूनेस व करटोसिस-** विभिन्न प्रकार के घूर्ण व उनके संबंध; स्क्यूनेस व करटोसिस का अर्थ; स्क्यूनेस व करटोसिस के विभिन्न माप

12.11.3.5 **सहसंबंध एवं प्रतिगमन-** प्रसार आरेख, सामान्य सहसंबंध गुणांक, सामान्य प्रतिगमन रेखाएं; स्पीयरमैन का श्रेणी सहसंबंध, आरोपण के संगुणन की माप; बहुविध प्रतिगममण; बहुविध व आंशिक सहसंबंध (केवल तीन चरों के लिए)।

12.11.3.6 **संभाव्यता सिद्धान्त -** संभाव्यता का अर्थ; संभाव्यता की विभिन्न परिभाषाएं; प्रतिबंधित संभाव्यता;संयुक्त संभाव्यता; स्वतंत्र विषय; बेयस का प्रमेय।

12.11.3.7 **यादृच्छिक चर एवं संभाव्यता विभाजन -** यादृच्छिक चर; संभाव्यता फलन, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा व प्रसरण; यादृच्छिक चर का उच्चतर घूर्ण; द्विपद, पोयजन, सामान्य और घातांकी विभाजन; दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त विभाजन (पृथक)

12.11.3.8 **प्रतिदर्शसिद्धान्त -** जनसंख्या एवं प्रतिदर्श की अवधारणा ; प्राचल एवं सांख्यिकी, प्रतिदर्श एवं गैर प्रतिदर्श त्रुटियां; संभाव्यता एवं गैर संभाव्यता प्रतिदर्श तकनीक (सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श, बहुचरण प्रतिदर्श, बहुपक्ष प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श,क्रमबद्ध प्रतिचयन, सप्रयोजक प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श, यथांश प्रतिदर्श); प्रतिदर्श विभाजन (केवल विवरण); प्रतिदर्श आकार निर्णय।

12.11.3.9 **सांख्यिकीय अनुमान -** बिंदु आकलन व मध्यान्तर आकलन, अच्छे आकलक के गुणधर्म, आकलन की पद्धति (घूर्ण पद्धति, आधिकतम संभविता पद्धति, लघुतम वर्ग पद्धति), परिकल्पना का परीक्षण, परीक्षण की मूल अवधारणा, लघु प्रतिदर्श और विस्तृत प्रतिदर्श परीक्षण, Z, t, Chi-square तथा F सांख्यिकी पर आधारित परीक्षण, निश्चयी अनुमान ।

12.11.3.10 **प्रसरणविश्लेषण -** एक तरफा वर्गीकृत आंकड़े व दो तरफा वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण ।

12.11.3.11 **समय श्रंखला विश्लेषण** - समय श्रंखलाके घटक, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रवणता घटक का निर्धारण, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से आवर्तक अपक्रम की माप।

12.11.3.12 **सूचकांक** - सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के निर्माण में समस्या, सूचकांक के प्रकार, विभिन्न सूत्र, सूचकांक का मूल विचलन व जोड़, निर्वाह-व्यय सूचकांक, सूचकांक के प्रयोग।

#### 12.11.4 प्रश्नपत्र-IV (सामान्य अध्ययन-वित्त एवं अर्थशास्त्र):

##### 12.11.4.1 भाग-क: वित्त एवं लेखा(80 अंक)

##### 12.11.4.1.1 लेखाशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत और मूल अवधारणा

12.11.4.1.1.1 **वित्तीय लेखाशास्त्र** : प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखाशास्त्र की सीमाएं, मूल अवधारणाएं एवं परम्पराएं, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत।

12.11.4.1.1.2 **लेखाशास्त्र की मूल अवधारणाएं**: एकल एवं दोहरा लेखा, मूल लेखा की बहियां, बैंक समाधान, रोजनामचा, खाता बही, कच्चा चिट्ठा, त्रुटियों का परिशोधन, विनिर्माण, व्यापार करना, लाभ एवं हानि, विनियोजन लेखा, तुलनपत्र, पूंजीगत व्यय और राजस्व खर्च में भिन्नता, मूल्यहास लेखाकरण, सम्पत्ति सूची का मूल्यांकन, लाभ निरपेक्ष संगठनों का लेखा, प्रप्तियां एवं भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा, विनिमय पत्र, स्वतः संतुलन लेखा बहियां।

##### 12.11.4.2 भाग-ख: अर्थशास्त्र और आभिशासन-(120 अंक)

12.11.4.2.1 **भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक**-सांविधानिक प्रावधान, भूमिका और उत्तरदायित्व ।

12.11.4.2.2 **वित्त आयोग**- भूमिका एवं कार्य

12.11.4.2.3 **अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में परिचय**: परिभाषा, अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति, अर्थशास्त्र अध्ययन की पद्धतियां तथा अर्थव्यवस्था और उत्पादन सम्भावना वक्र की केन्द्रीय समस्याएं।

12.11.4.2.4 **मांग और पूर्ति का सिद्धांत**: मांग का अर्थ और निर्धारक तत्व, मांग का सिद्धांत और मांग की लोच, मूल्य, आय एवं तिर्यक लोच; उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत- मार्शलियनप्रस्ताव तथा अनधिमान वक्र प्रस्ताव, पूर्ति का अर्थ और निर्धारक तत्व, पूर्ति का सिद्धांत और पूर्ति की लोच ।

12.11.4.2.5 **उत्पादन और लागत का सिद्धांत**: उत्पादन का अर्थ और कारक; उत्पादन के सिद्धांत- परिवर्तनीय समानुपातों के सिद्धांत एवं अनुमाप प्रतिवर्तन के सिद्धांत।

12.11.4.2.6 **बाजार के प्रकार और विभिन्न बाजारों में मूल्य निर्धारण**: बाजारों के विभिन्न प्रकार- आदर्श प्रतिस्पर्द्धा, एकधिकार, एकधिकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा और अल्पधिकार तथा इन बाजारों में मूल्य निर्धारण।

##### 12.11.4.2.7 भारतीय अर्थव्यवस्था

12.11.4.2.7.1 **भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति** विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका, कृषि, उद्योग और सेवाओं की भूमिका- उनकी समस्याएं और विकास।

12.11.4.2.7.2 **भारत की राष्ट्रीय आय**- राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का मापन करने की विभिन्न पद्धतियां।

12.11.4.2.7.3 **जनसंख्या**- इसका आकार, वृद्धि की दर और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव।

12.11.4.2.7.4 गरीबी तथा बेरोजगारी-निरपेक्ष एवं सापेक्ष गरीबी, प्रकार, बेरोजगारी के कारण और प्रभाव।

12.11.4.2.7.5 संरचना- ऊर्जा, परिवहन, संचार

12.11.4.2.8 भारत में आर्थिक सुधार: 1991 से आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, सार्वभौमीकरण और विनिवेश।

12.11.4.2.9 धन तथा बैंकिंग :

12.11.4.2.9.1 मौद्रिक/राजकोषीय नीति, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका तथा कार्य, व्यापारिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/भुगतान बैंकों के कार्य ।

12.11.4.2.9.2 बजट तथा राजकोषीय घाटा और भुगतानों का संतुलन ।

12.11.4.2.9.3 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन आधिनियम, 2003.

12.11.4.2.10 आभिशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ।

12.11.5 प्रश्नपत्र-I में प्रश्न मैट्रिक कक्षा स्तर के, प्रश्नपत्र-III के 10+2 स्तर के और प्रश्नपत्र-III तथा प्रश्नपत्र-IV के स्नातक स्तर के होंगे।

12.12 कौशल परीक्षा:

12.12.1 डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डीईएसटी):

12.12.1.1 कर सहायकों (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर) के पदों के लिए: कम्प्यूटर पर प्रति घण्टा 8,000 (आठ हजार) की-डिप्रेषन की डाटा एंट्री गति परीक्षा (डीईएसटी) ।

12.12.1.2 15 (पन्द्रह) मिनटों की अवधि की 2000 (दो हजार) की-डिप्रेषन "डाटा एंट्री गति" कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी। इस प्रयोजन के लिए आधिसूचित परीक्षा केन्द्र/स्थान पर आयोग द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जाएगा। कौशल परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा अन्य केन्द्रों में किया जायेगा। अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कौशल परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश भेजे जाएंगे। टंकण परीक्षा/डीईएसटी के मूल्यांकन के बारे में सूचना आयोग की वेबसाइट [www.ssc.nic.in](http://www.ssc.nic.in) (candidate's corner) पर उपलब्ध हैं।

12.12.1.3 उक्त प्रयोजनार्थ कौशल परीक्षा आयोग द्वारा यथा-निर्णित विधि से आयोजित की जाएगी।

12.12.1.4 के.प्र.क.बो. में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले आस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई है। तथापि, के.उ.सी.शु.बो. में कर सहायक पद का विकल्प देने वाले अ.दि. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा से छूट नहीं है। श्र.दि. और द.दि. अभ्यर्थी कौशल परीक्षा से छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

12.12.1.5 शा.दि. अभ्यर्थी, जो परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें डीईएसटी में 5 (पांच) मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जायेगा। केवल उन्हीं द.दि. अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के समय पाठ वाचक दिये जायेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा के लिए प्रलिपिक का विकल्प दिया है।

#### 12.12.2 कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी):

12.12.2.1 आयोग के.स.से., विदेश मंत्रालय और स.से.मु. के सहायक अनुभाग आधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (ग.क.अ.क.) में सहायक, खान मंत्रालय में सहायक (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में निरीक्षक (केंद्रीय उत्पादकर), निरीक्षक (निवारक अधिकारी), और निरीक्षक (परीक्षक) के पदों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन करेगा जिसमें तीन मोड्यूल अर्थात्- (i) वर्ड प्रोसेसिंग, (ii) स्प्रेड शीट और (iii) स्लाइडें तैयार करना शामिल है। उक्त प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा का आयोजन यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की किसी भी श्रेणी को छूट प्राप्त नहीं है। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

12.12.2.2 प्रत्येक मोड्यूल की अवधि 15 मिनट की होगी। इन मोड्यूलस को एक के बाद एक संचालित किया जाएगा।

12.12.2.3 मोड्यूल-डाटा एंट्री कौशल परीक्षा होगी जो करीब 2000 (दो हजार) लेखांश की-डिप्रेशन के लिए संचालित की जाएगी।

12.12.2.4 मोड्यूल-ii टेस्ट के दौरान दिए गए अभ्यास की अरह स्प्रेडशीट बनाने की होगी।

12.12.2.5 मोड्यूल-iii टेस्ट के दौरान दिए गए अभ्यास की तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की होगी।

12.12.2.6 कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आयोग द्वारा निर्णित तरीके से संचालित किया जाएगा। कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा अर्हक प्रकृति की है और सभी तीनों मोड्यूलस में अर्हता-प्राप्त करना अनिवार्य है।

12.12.2.7 दिव्यांगता के किसी भी श्रेणी को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा से छूट की अनुमति नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थी जो परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र है उन्हें कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में 5 (पाँच) मिनट के अतिरिक्त क्षतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी। केवल वे दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में प्रलिपिक का विकल्प चुना है उन्हें कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के समय पैसेज पढ़ने वाला प्रदान किया जाएगा।

12.12.2.8 कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा में बैठने के लिए अर्हक घोषित पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा संबंधी विस्तृत अनुदेश आयोग के क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भेजे जाएंगे।

### 13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु आयोग के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोल नंबर और प्रवेश-पत्र (एसी) दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता विभागों द्वारा की जाएगी। जांच के दौरान यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13.3 परीक्षा के सभी स्तरों के प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थी द्वारा चुना गया केंद्र स्थित है (ब्योरा पैरा 11.1 पर है) और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात <https://ssc.nic.in>) का अवलोकन करते रहें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

13.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

13.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

13.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,

13.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

- 13.7.4 पैन कार्ड,
  - 13.7.5 पासपोर्ट
  - 13.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र
  - 13.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निजी)
  - 13.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
  - 13.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र
- 13.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे-सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.9 पैरा 7.1 और 7.2 के अनुसार शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।
- 13.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

#### 14. दस्तावेज सत्यापन (डीवी)

- 14.1 सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं.14.6 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 14.2 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प या तो ऑनलाइन या दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उसके नाम पर उस पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। **अतः, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प देते समय सावधानी बरतें।**
- 14.3 ऑनलाइन या दस्तावेज सत्यापन से पहले या उसके समय पदों/विभागों की वरीयता देते हुए, अभ्यर्थी नोट करें कि निम्नलिखित पदों के लिए **शारीरिक मानक, शारीरिक जांच और चिकित्सा मानकों की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं :**
- 14.3.1 इंस्पेक्टर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) -केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
  - 14.3.2 इंस्पेक्टर (परीक्षक) -अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

- 14.3.3 निरीक्षक (निवारक अधिकारी) -अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- 14.3.4 इंस्पेक्टर-केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
- 14.3.5 उप-निरीक्षक-केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
- 14.3.6 उप-निरीक्षक-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- 14.3.7 उप-निरीक्षक-राष्ट्रीय जांच एजेंसी

14.4 14.3.1 से 14.3.7 तक के पदों के संदर्भ में शारीरिक मानक और शारीरिक जांच के बारे में विस्तृत जानकारी , **अनुबंध-XV** में दी गई है ।

14.5 अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं/विकल्प देने से पहले शारीरिक मानक, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा मानकों की सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अंतिम चयन और नामांकन के बाद संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा शारीरिक मानकों , शारीरिक परीक्षणों का मापन और चिकित्सा जांच का आयोजन किया जाएगा । **यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को बाद में किसी अन्य पद/विभाग के लिए नहीं माना जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जाने और पदों/विभागों की अपनी पसंद को वरीयता दें ।**

14.6 अभ्यर्थियोंको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए **आवेदन** करतेसमय दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटा और एक **मूल वैध फोटो पहचान पत्र** लाना होगा । फोटो पहचानपत्र निम्नलिखित हो सकता है:

- 14.6.1 आधार कार्ड / ई- आधार का प्रिंटआउट ।
- 14.6.2 वोटर आईडी कार्ड
- 14.6.3 पैन कार्ड।
- 14.6.4 पासपोर्ट
- 14.6.5 ड्राइविंग लाइसेंस
- 14.6.6 सरकारी स्कूल / कॉलेज आईडी कार्ड
- 14.6.7 नियोक्ता आईडी (सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम)
- 14.6.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवा-मुक्ति खाता
- 14.6.9 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फ़ोटो पहचान-पत्र।

14.7 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:

- 14.7.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र
- 14.7.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 14.7.3 जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है

- 14.7.4 यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रारूप में विकलांग प्रमाण पत्र के साथ व्यक्ति
- 14.7.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (ईएसएम):
- 14.7.5.1 यदि लागू हो, तो अनुबंध-VI के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण पत्र देना ।
- 14.7.5.2 अनुबंध-VII के अनुसार वचनबंध।
- 14.7.5.3 सेवा निवृत्ति का प्रमाणपत्र, अगर सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त होते हैं।
- 14.7.6 प्रासंगिक प्रमाण पत्र यदि आयु में छूट की मांग करता है।
- 14.7.7 केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा अनुबंध-V के अनुसार प्रमाण पत्र ।
- 14.7.8 अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहले से ही सरकारी / सरकारी उपक्रमों में नियोजित होने पर।
- 14.7.9 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 14.7.9.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 14.7.9.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 14.7.9.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 14.7.9.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।
- 14.8 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

## 15 चयन का तरीका:

- 15.1 टियर-II तथा टियर-III परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र तथा टियर-I परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार:-
- 15.1.1 अना : 30%
- 15.1.2 अपिब/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग: 25%
- 15.1.3 अन्य : 20%
- 15.2 टियर-I अर्थात् कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को श्रेणी-वार टियर-II एवं टियर-III परीक्षा में बैठने के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा। टियर-II में पेपर-III (अर्थात् कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी), टियर-II के पेपर-IV (अर्थात् सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए) और टियर-II के प्रश्नपत्र-I + प्रश्नपत्र-II (अर्थात् अन्य सभी पदों के लिए) के लिए अलग-अलग कट-ऑफ निर्धारित किया जाएगा।
- 15.3 टियर-I में अर्हक सभी अभ्यर्थियों के लिए टियर-II तथा टियर-III परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को टियर-II के प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II में उपस्थित होना अपेक्षित होगा। तथापि, केवल कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए शार्टलिस्ट किए गए विनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों को क्रमशः प्रश्नपत्र-III तथा प्रश्नपत्र-IV में उपस्थित होना अपेक्षित होगा।
- 15.4 अभ्यर्थियों को टियर-I और टियर-II में उनके समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर टियर-III परीक्षा के मूल्यांकन के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी टियर-II में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे वे टियर-III में मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 15.5 अभ्यर्थियों को टियर-I, टियर-II तथा टियर-III परीक्षा में अर्हक अभ्यर्थियों के समग्र कार्य निष्पादन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन तथा कौशल परीक्षा अर्थात् कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) व डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डीईएसटी) में बैठने के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। कौशल परीक्षाएं जहां अनिवार्य रूप में निर्धारित हैं परन्तु अर्हक प्रकृति की हैं। यदि कोई अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा कौशल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वे उन पदों के लिए पात्र नहीं होगा जिनके लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा / डाटा एंट्री कौशल परीक्षा अनिवार्य है।
- 15.6 अभ्यर्थियों से पदों की वरीयता के लिए विकल्प या तो दस्तावेज सत्यापन से पहले ऑनलाइन अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा।
- 15.7 पैरा-14.3 में सूचीबद्ध पदों के लिए शारीरिक तथा चिकित्सा मानक अनिवार्य हैं जिसमें शारीरिक क्षमता परीक्षा (ऐसी अपेक्षाओं का ब्यौरा अनुबंध-XV में उपलब्ध है) शामिल है। अभ्यर्थी के अंतिम चयन के पश्चात् ऐसी शारीरिक तथा चिकित्सा मानक परीक्षाओं का आयोजन संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी परीक्षा में

असफल होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता पर तत्पश्चात अन्य किसी पद/ विभाग के लिए विचार नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने लिए विचारणीय पदों के लिए ही वरीयता दें ।

- 15.8 अभ्यर्थियों के टियर-I, टियर-II और टियर-III परीक्षा में समग्र कार्यनिष्पादन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी । प्रत्येक श्रेणी में अंतिम चयन 'टियर-I, टियर-II और टियर-III परीक्षा' में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों और उनके द्वारा दी गई 'पद वरीयता' के आधार पर किया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है । अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गया विकल्प/वरीयता अंतिम माना जाएगा और अपरिवर्तनीय होगा । अभ्यर्थियों द्वारा आबंटन/सेवा के परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों/कारणों से विचार नहीं किया जाएगा ।
- 15.9 आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता और उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन करता है और एक बार पद आवंटित होने के पश्चात, किसी पद के लिए शारीरिक/चिकित्सीय/शैक्षणिक मानकों से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्च वरीयता दी है तथा उस पद के लिए उसका चयन किया जाता है और उस स्थिति में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके नाम पर अन्य पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
- 15.10 अजा, अजजा, आपिव, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपूसे और शा.दि. अभ्यर्थी मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद हो । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, आपिव, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपूसे और शा.दि. श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।
- 15.11 अजा, अजजा, आपिव, भूतपूर्व सैनिक, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि

सामान्य रिक्तियों में । ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसे के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसे को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा । इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- 15.12 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।
- 15.13 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 15.14 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 15.15 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।
- 15.16 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/संगठन द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 15.17 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन

के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए ।

15.18 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

## 16. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

16.1 टियर-I, टियर-II तथा टियर-III परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी के मामले में योग्यता का निर्णय निम्नलिखित मानदंडों को एक बाद दूसरे को अपनाते हुए किया जाएगा जब तक कि बराबरी (टाई) का निपटान न हो जाए:

16.1.1 टियर-II परीक्षा में संबंधित प्रश्नपत्र के कुल अंक

16.1.2 टियर-III परीक्षा में कुल अंक

16.1.3 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।

16.1.4 वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों का नाम आता है।

## 17. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कारवाही:

17.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी दुराचरण/कदाचार के लिए दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा।

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफशीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए	3 वर्ष

	उकसाना	
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विचऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों /हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षागार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों/ हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

17.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

**18. आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ /पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

19. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार :** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थीने परीक्षाएं दी है।

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.जा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चातआयोग द्वारा आयोजित उक्तखुली प्रतियोगी परीक्षाओंमें अभ्यर्थियोंके अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा:(i)अभ्यर्थीका नाम(ii)पिता/पति का नाम(iii)जन्म तिथि (iv)श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/आपिव/भूपूसै) (v)अभ्यर्थी का लिंग(vi)शैक्षिक योग्यता(vii)अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक(viii)रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है(ix)पूरापता(x)ई-मेल । तथापि, अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा । तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग की वेबसाइट/एनसीएस पर उपलब्ध होंगे जिन्होंनेउपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकापति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

22. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वेआवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोगलिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी।

	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/शादि.के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ड.)	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे ।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा । यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठा है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(ज)	अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम ठीक वैसा ही लिखें जैसे उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के ध्यान में जब कभी भी आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
(झ)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ञ)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ई-मेल/दस्ती के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ट)	अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर दें क्योंकि आयोग द्वारा ईमेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार दिया जा सकता है।
(ठ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्रमूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 13.8 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7.1 और 7.2 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो काँपी लानी होगी।
(ड)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ढ)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(ण)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(त)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(थ)	देयशुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।

(द)	<p>ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। <b><u>ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।</u></b> फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।</p>
-----	---

अवर सचिव (नीति एवं योजना-I)

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती .....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम),  
सुपुत्र/सुपुत्री ....., ग्राम/जिला/राज्य ..... के निवासी हैं,  
जोकि .....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी  
प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक  
सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

**टिप्पणी:**

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं ..... (दिव्यांगता का स्वरूप) ..... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूँ, जिसका..... (जिले का नाम) ..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) ..... में स्थित .....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक ..... है। मेरी शैक्षिक योग्यता ..... है।

मैं सूचित करता/करती हूँ कि ..... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उनकी शैक्षिक योग्यता ..... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

**(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)**

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

**भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)**

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
    - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
    - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
    - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा ।)
      - i. वोटर आईडी कार्ड
      - ii. पैन
      - iii. पासपोर्ट
      - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
      - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
      - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
  - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्षके बारे में जानकारी।
  - ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
  4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
    - क. प्रारंभिक विवरण
    - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथासंपर्क विवरण
    - ग. घोषणा ।
  5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :
    - क. किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में

- दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या:1-आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या :2-अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या -4:अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या-5:अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6:मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:
- i.शिक्षा बोर्ड का नाम
  - ii.रोल नंबर
  - iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रियमोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भीआपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रमसंख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड /पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होनेपर, आपका डाटा सहेजा जाएगा तथा आपका पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

- ग. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रमसंख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रमसंख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रमसंख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या 15-से 18 :अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें।ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है।**इसलिए एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।**
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

**BASIC DETAILS**
[Edit](#)

1a. Do you have Aadhaar ? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
1a. Aadhaar Number	<input type="text"/>
1b. Verify Aadhaar Number	<input type="text"/>
1c. Type of ID *	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Voter ID Card</span> <span>▼</span> </div> <p style="font-size: 0.8em; color: #007bff; margin-top: 5px;">Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number</p>
1d. ID Number *	<input type="text" value="BRHPK3731M"/>
2a. Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/> <p style="font-size: 0.8em; color: #007bff; margin-top: 5px;">Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)</p>
2b. Verify Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
2c. Have you ever changed Name?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
2d. New Name / Changed Name	<input type="text"/>
3a. Father's Name *	<input type="text" value="SAMPLE FATHER NAME"/> <p style="font-size: 0.8em; color: #007bff; margin-top: 5px;">1.Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2.Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)</p>
3b. Verify Father's Name *	<input type="text" value="SAMPLE FATHER NAME"/>
4a. Mother's Name *	<input type="text" value="SAMPLE MOTHER NAME"/> <p style="font-size: 0.8em; color: #007bff; margin-top: 5px;">1.Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2.Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)</p>
4b. Verify Mother's Name *	<input type="text" value="SAMPLE MOTHER NAME"/>
5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *	<input type="text" value="01/07/1996"/> <p style="font-size: 0.8em; color: #007bff; margin-top: 5px;">Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate</p>
5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *	<input type="text" value="01/07/1996"/>

6. Matriculation (10<sup>th</sup> Class) Examination details :

(i). Education Board \*    
[Education Board of Matriculation Examination](#)

(ii). Verify Education Board \*

(iii). Roll Number \*    
 1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate  
 2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)  
 3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number \*

(v). Year of Passing \*

(vi). Verify Year of Passing \*

7a. Gender \*  Male  Female  Transgender

7b. Verify Gender \*  Male  Female  Transgender

8. Level of Education Qualification \*

9a. Mobile Number \*

9b. Verify Mobile Number \*

10a. Email ID \*

10b. Verify Email ID \*

Feedback



STAFF SELECTION COMMISSION  
(Government of India)



HOME



NOTICES



APPLY



ADMIT CARD



ANSWER KEY



RESULT



WELCOME SAMPLE NAME

Change Password - Logout

Latest Notifications

Application History

Modify Registration

Result / Marks

Modify Examination Center Preferences

1

BASIC DETAILS

2

ADDITIONAL AND CONTACT  
DETAILS

3

DECLARATION

Registration No: 10000000035

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS
Edit

11a. Category \*  General  EWS  OBC  ST  SC

11b. Verify Category \*  General  EWS  OBC  ST  SC

12. Nationality \*

13. Identification Marks \*

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? \*  Yes  No

14b. Type of Disability

**NOTE**  
**VH:** Blindness and low vision.  
**HH:** Deaf and hard of hearing.  
**OH:** Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.  
**Others:** Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address \*

15b. State/ UT \*

15c. District \*

15d. PIN Code \*

16. Is Present Address same as Permanent Address?  Yes  No

17a. Present Address \*

17b. State/ UT \*

17c. District \*

17d. PIN Code \*

18. Contact details for other nationals

Previous
Save
Next
Reset
Close

Staff Selection Commission

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

DECLARATION

**Declaration** : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

**भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)**

**1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:**

क. हाल का (परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **फोटो पर फोटो लिए जाने की तिथि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। फोटोग्राफ पर बिना तारीख अंकित आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

ख. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**

ग. अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं. प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।

2. अपनी 'पंजीकृत संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Combined Graduate Level Examination 2020' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं1-से 14पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉग-ईन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ाने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए।
7. क्रम संख्या-17.1 : यदि आप प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हैं तो सूचना प्रदान करें।
8. क्रम संख्या-17.2 : यदि आप लिखने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा-7 देखें।
9. क्रम संख्या-17.3 से 17.5: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
10. क्रम संख्या-18: यदि आप कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 'Yes' का चयन करें। आपके पास उक्त पद के लिए आवश्यक वांछित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कृपया इसे क्रम संख्या-19 पर दर्ज करें।
11. क्रम संख्या- 20: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
12. क्रम संख्या- 21 : कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।

13. क्रम संख्या-22: पात्र शैक्षिक योग्यता का ब्योरा प्रदान करें।
14. क्रम संख्या- 23:कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-20 देखें और तदनुसार भरें।
15. क्रम संख्या- 24, 25 तथा 26: वर्तमान और स्थायी पता से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
16. अपना हाल का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या-1 क पर निर्दिष्ट किया गया है। कृपया यह सुनिश्चित करें की जिस तारीख को फ़ोटो ली गई है वह फ़ोटो पर अंकित हो अन्यथा बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदनों को भी रद्द कर दिया जाएगा।
17. जैसा कि ऊपर क्रम संख्या-1 ख पर विनिर्दिष्ट किया गया है अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
18. क्रम संख्या-27: उपर्युक्त अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फ़ोटो ली गई है वह फ़ोटो पर स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। आपके फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख भरें।
19. क्रम संख्या-28: अगर फोटोग्राफ लेने की तारीख फोटोग्राफ पर स्पष्टतः अंकित है तो 'Yes' का चयन करे।
20. "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
21. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। अगर आप किसी भी प्रविष्टि का संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/Modify' बटन दबाएं और आगे बढ़ाने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें। आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।
22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
23. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा- 10 का संदर्भ लें।
24. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कोई भी शिकायत , अगर हो तो, उसके निपटान के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट-आउट प्रदान करना पड़ सकता है।

## COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2020

## Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name:	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	01/01/1996
6. Age as on 01/01/2021:	25.0
7. Gender:	Male
8. Category:	SC
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
12. Matriculation (10 <sup>th</sup> Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 <sup>th</sup> Class) Roll No.:	2389457600
14. Matriculation (10 <sup>th</sup> Class) Year of Passing:	2010
15. Preference of Examination Centres: *	<input type="text" value="CR-Agra(3001)"/> <input type="text" value="CR-Prayagraj(3003)"/> <input type="text" value="CR-Jhansi(3008)"/>
16.1 Whether Ex-Serviceman (ESM)? : *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

16.2. Length of Service in Armed Forces (In Years):

16.3. Date of Discharge from Armed Forces (DD/MM/YYYY):

16.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) :  Yes  No  
[Please refer to the Notice of Examination, Para-5.6](#)

16.5. Date of Joining on Civil Post (DD/MM/YYYY):

17.1. Whether suffering from Cerebral-Palsy:  Yes  No

17.2. Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.)?:  Yes  No

17.3. Whether scribe is required?:  Yes  No  
[Please see Para - 7 of the Notice](#)

17.4. Will you make your own arrangement of Scribe?:  Yes  No

17.5. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

18. Are you also applying for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): \*  Yes  No

19. Do you possess EQ for the Post of Junior Statistical Officer (MoSPI): \*  Yes  No

20. Whether seeking Age Relaxation? : \*  Yes  No

20.1. If Yes, Age Relaxation code:   
[Please see Para - 5.2 of the Notice](#)

21. Highest Educational Qualification: \*

22. Details of Qualifying Educational Qualification: \* Graduation

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
Passed	2015	Delhi	INDIRA GANDHI DELHI	603086543	89	

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt (P) dated 21/06/2016? \*  Yes  No  
[Please see Para - 20 of the Notice](#)

24. Correspondence Address: SAMPLE Present ADDRESS

State: Delhi

District: Central Delhi

Pin: 110003

25. Permanent Address Sample Permanent Address

State: Delhi

Pin: 110001

Mobile Number: 8111111111

Email: sample123@gmail.com

26. Contact Details for Other Nationals:

### Photograph And Signature

Upload Photo with date printed on it  
 (See Para- 9.2 of Notice)\*  
 Allowed File Size: 20 KB to 50 KB  
 Format: JPEG/ JPG  
 Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

SamplePhot...hwithdate.jpg



Upload Signature \*  
 Allowed File Size: 10 KB to 20 KB  
 Format: JPEG/ JPG  
 Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

SampleSignature.jpg



27. Date on which the uploaded photograph has been taken(DD/MM/YYYY): 15/12/2020

28. Whether the date mentioned at S.No.29 is clearly printed on the Photograph:  Yes  No

### Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.

I Agree

RTHGA

Try Another

Preview
Reset
Close

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि \*श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो \_\_\_\_\_ रु. के वेतनमान में \_\_\_\_\_ के पद पर अंतिम तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्षकी नियमित सेवा कर चुके हैं।

\_\_\_\_\_ (परीक्षा नाम) के लिए आवेदन पत्र)

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

कार्यालय की मुहर \_\_\_\_\_

स्थान:

दिनांक:

(\* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)

\_\_\_\_\_ (रैंक) \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (दिनांक) \_\_\_\_\_

को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

( कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

कार्यालय की मुहर

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं ....., अनुक्रमांक.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .....को ..... कार्यालय में .....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .....को ..... कार्यालय में .....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी ।

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

अनुक्रमांक: .....

दिनांक: .....

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: .....

कार्यमुक्ति की तिथि: .....

अंतिम इकाई / कोर: .....

मोबाइल नंबर: .....

ईमेल आईडी:.....

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप**

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
निवासी ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*  
\_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश  
के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 \_\_\_\_\_

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 \_\_\_\_\_

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ के माता/पिता श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* \_\_\_\_\_ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो \_\_\_\_\_ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और/या\* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

\*\*पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक.....

\*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

**टिप्पणी:-** यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**\*\*जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**टिप्पणी:-** तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री \_\_\_\_\_

ग्राम/कस्बा \_\_\_\_\_ जिला/संभाग \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ \* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० \_\_\_\_\_ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993\*\* की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश .....

उपायुक्त आदि.....

दिनांक:

मुहर:

---

\*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

\*\* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र  
प्रमाण-पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

वर्ष ..... लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी  
स्थायी निवासी \_\_\_\_\_ गाँव/गली \_\_\_\_\_ डाकघर  
जिला \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र  
पिन कोड \_\_\_\_\_ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप  
से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष ..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' \*\* की कुल वार्षिक  
आय\* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई  
संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ का संबंध \_\_\_\_\_ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम .....

पद.....

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

\* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

\*\* नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ

---

चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

\*\*\* नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

**प्रपत्र-V**

**निःशक्तता प्रमाण पत्र**

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---  
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/  
महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----  
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की  
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ---  
----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में )  
स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रपत्र-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र  
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)  
(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----  
-----जन्म तिथि ----- (दि/मा/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/  
महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----  
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की  
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .....  
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए  
मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता (०/१००)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कपोषण			
3.	अभिसाधित कण्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			

13.	विशिष्ट अभिगम			
14.	ऑटिस्म स्पेक्टम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिसीज			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में ..... प्रतिशत

शब्दों में ..... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... (तारीख) .... (माह) .....(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# अर्थात् एक आँख

£ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर
----------------------	----------------------	------------------------

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रपत्र-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----  
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरूष/  
महिला----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ---  
---- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे ..... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों ..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी			

10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ..... वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... (तारीख) .... (माह) .....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# अर्थात् एक आँख/दोनों आंखें

€ अर्थात् बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 के लिए कौशल परीक्षा (डाटा एंट्री कौशल परीक्षा) में बैठने से छूट चाहने वाले बैचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. ....सुपुत्र / सुपुत्री/  
पत्नी श्री .....से पीड़ित है ।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी दिव्यांगताओं का संक्षिप्त विवरण)

.....  
.....  
यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता, दिव्यांगता की \_\_\_\_% है। इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है (विनिर्दिष्ट करें )

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

(कार्यालय की मोहर) \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

शरीर के प्रभावित  
अंश को स्पष्ट रूप से  
दर्शाते हुए अभ्यर्थी  
का फोटोग्राफ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

क. निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में निरीक्षक तथा उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानक:  
पुरुष अभ्यर्थी:

(i) शारीरिक मानक:

ऊंचाई 157.5 से.मी. छाती 81 से.मी. (5 से.मी. के न्यूनतम विस्तार सहित पूर्ण रूप से विस्तारित)	गढ़वाल, असमी, गोरखा तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के मामले में ऊंचाई में 5 से.मी. की छूट है
--	---

(ii) शारीरिक परीक्षण:

चलना: 15 मिनट में 1600 मीटर।

साइकिल चलाना: 30 मिनट में 8 कि.मी.

महिला अभ्यर्थी:

(i) शारीरिक मानक (न्यूनतम):

ऊंचाई 152 से.मी. वजन: 48 के.जी.	ऊंचाई में 2.5 से.मी. की छूट है। गोरखा, गढ़वाल, असमी, तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए वजन में 2 किलोग्राम की छूट है
------------------------------------	---

(ii) शारीरिक परीक्षण:

चलना: 20 मिनट में 1 कि.मी.

साइकिल चलाना: 25 मिनट में 3 कि.मी.

टिप्पणी: निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/परीक्षक/निवारक अधिकारी), दिव्यांग जन के पद के लिए अभ्यर्थी को संबंधित पद के लिए यथानिर्धारित चिकित्सा मानकों अर्थात् ऊंचाई, छाती तथा वजन को पूरा करना होता है। तथापि, अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा में निम्नलिखित छूट स्वीकार्य हैं:

(क) एक पैर तथा एक बांह एक पैर श्रेणी के मामले में "चलना" परीक्षा बाध्यकारी नहीं है।

(ख) एक बाँह, एक पैर तथा एक बाँह एक पैर श्रेणी के मामले में "साइकिल चलाना" परीक्षा बाध्यकारी नहीं है।

ख. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानक:

(क) ऊंचाई

पुरुष के लिए -165 से.मी.

महिला के लिए -150 से.मी.

पहाड़ी तथा जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए ऊचाई में छूट: 5 से.मी.

(ख) छाती:

विस्तार सहित 76 से.मी. ( महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

(ग) दृष्टि:

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टि: एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टि: एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

ग. राष्ट्रीय जांच एजेंसी में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक मानक:

(क) ऊचाई

पुरुष के लिए -170 से.मी.

महिला के लिए -150 से.मी.

पहाड़ी तथा जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए ऊचाई में छूट: 5 से.मी.

(ख) छाती:

विस्तार सहित 76 से.मी. ( महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

(ग) दृष्टि:

नजर (चश्मा सहित अथवा बिना चश्मा के)

दूर दृष्टि: एक आंख में 6/6 तथा दूसरे आंख में 6/9

निकट दृष्टि: एक आंख में 0.6 तथा दूसरे आंख में 0.8

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पद की श्रेणी हेतु विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे उस श्रेणी की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप (जिसमें दृष्टि परीक्षा शामिल है), संबंधित मांगकर्ता विभागों द्वारा आयोजित की जाएगी तथा केवल वह अभ्यर्थी जो विनिर्दिष्ट शारीरिक माप को पूरा कर रहे हैं वही संबंधित पद के लिए पात्र होंगे। यदि नामित अभ्यर्थी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो पद की किसी अन्य सेवा/श्रेणी को आवंटित किए जाने के उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः पात्रता मानदंडों को पूरा करने का पूर्ण दायित्व केवल अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने ऐसे पदों के लिए विकल्प दिया है।